संख्या–1045/सेक–2–पॉच–2011–7(48)/11

प्रेषक,

नीता चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
जिला पुरूष/महिला चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–2 **लखनऊ :: दिनांक 12 मार्च, 2011**

विषयः–जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सफाई व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के जनपदों के भ्रमण के समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चिकित्सालयों का भी निरीक्षण किया गया। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा किए गये निरीक्षण में कतिपय चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था अत्यन्त ही असंतोषजनक पायी गयी तथा कुछ चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक तथा कुछ चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था अच्छी पायी गयी है।

2– आप अवगत ही हैं कि आम जनता को समुचित उपचार सुनिश्चित कराने हेतु चिकित्सालयों में सफाई अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि गंदगी से तमाम प्रकार की बीमारियां स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अतः चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायः–

(1) चिकित्सालय भवन के निरीक्षण में प्रायः यह पाया गया है कि कार्यदायी संस्था द्वारा काऊ–कैचर (Cow- Catcher) नहीं बनाया गया है, जिससे जानवरों के चिकित्सालय के अन्दर आने की संभावना को देखते हुए तत्काल चिकित्सालय के प्रवेश द्वारा पर काऊ–कैचर (Cow- Catcher) लगवाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) चिकित्सालय की बाउन्ड्रीवाल, गेट तथा चिकित्सालय भवन एवं खिड़की दरवाजों की मरम्मत के साथ–साथ रंगाई पुताई का कार्य कराते हुए वार्डों में लगे पंखों की सफाई तथा वाश–बेसिन शौचालय को स्वच्छ रखने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय परिसर में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों को कियाशील किया जाय तथा नाले एवं नालियां की सफाई भी सुनिश्चित की जाय ताकि भविष्य में वे चोंक न हों।

(3) चिकित्सालय में रोगियों हेतु उपलब्ध बेड की पेंन्टिंग के साथ–साथ गद्दे/बेडशीट/तकिये के कवर इत्यादि की सफाई का कार्य समय–समय पर कराया जाय।

(4) चिकित्सालयों की सफाई हेतु संविदा पर संविदाकर्मी रखे गये हैं। परन्तु उनके द्वारा किये जाने वाले/किये जा रहे कार्यों का विवरण सेवा प्रदाता

–2–

एजेन्सी के पास रहता है, अस्पताल के पास नहीं। अतः संविदा कर्मियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण/मस्टर रोल चिकित्सालय के कार्यालय में भी रखा जाना सुनिश्चित किया जाय। कान्ट्रेक्ट के बाद भी सफाई हेतु आपकी ही जिम्मेदारी होगी।

(5) चिकित्सालयों की सफाई हेतु रखे गये संविदा कर्मियों का यदि संविदा अनुबंध समाप्त हो चुका है तो उसका तत्काल पुर्ननवीनीकरण या नये कान्ट्रेक्ट की कार्यवाही पूर्ण करा लिया जाय।

(6) चिकित्सालयों की सफाई हेतु चतुर्थ श्रेणी के रूप में नियुक्त सफाई कर्मियों से भी सफाई का कार्य लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) इमरजेन्सी में रोगियों को ले जाने हेतु बने रैम्प पर चकर टाईल्स लगाकर उसे सुव्यवस्थित कर लिया जाय।

(8) चिकित्सालयों के निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु धनराशि परिवार कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गई है। उक्त धनराशि से किये जा रहे/कराये जाने वाले कार्यों का विवरण रखा जाय तथा समयबद्ध रूप से जो कार्य होने थे वह पूर्ण हुए अथवा नहीं, का विवरण संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी रखें तथा कार्यदायी संस्था से समन्वय स्थापित कर कार्यों का समय–समय पर पर्यवेक्षण करना भी सुनिश्चित करें।

(9) शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में आपरेशन थियेटर हैं। परन्तु एक या दो आपरेशन थियेटर ही संचालित होते हैं। अतः उपलब्ध सभी सर्जनों से चक्रानुक्रम रूप से उपलब्ध आपरेशन थियेटर का उपयोग करते हुए सर्जरी के कार्य निर्धारित मानक के अनुसार कराया जाय तथा बंद आपरेशन थियेटरों को भी क्रियाशील किया जाय। यदि किसी सर्जन द्वारा यह शिकायत की जाती है कि उसे सर्जरी का मौका नहीं दिया जाता है तो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(10) अधिकांश चिकित्सालयों में निरीक्षण के समय यह पाया गया है कि हृदय रोग विशेषज्ञों के अभाव में हृदय रोगियों का इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, जबकि ऐसे रोगियों का इलाज फिजीशियन द्वारा भी किया जा सकता है। अतः फिजीशियन की विशेषज्ञता का लाभ आम जनता को सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

(11) कई जिला चिकित्सालयों में एन0आई0सी0यू0 तो बने हैं, परन्तु उनका सही तरीके से सदुपयोग नहीं हो रहा है। अतः चिकित्सालय में उपलब्ध बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों से उक्त का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय।

(12) चिकित्सालयों में रोगियों के भोजन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाय। उनके भोजन की व्यवस्था को मात्र संबंधित ठेकेदार के भरोसे ही ना छोड़ा जाय तथा रोगियों की मांग के अनुसार पर्याप्त शुद्ध/स्वच्छ भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(13) चिकित्सालय परिसर में खाली भूमि पर नीम का पौधारोपड़ अधिक से अधिक मात्रा में किया जाय ताकि नीम के प्राकृतिक गुणों का लाभ

–3–

चिकित्सालय के रोगियों को पूर्ण रूप से मिल सके। वृक्षारोपण के समय इस कार्य हेतु वन विभाग तथा जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(14) चिकित्सालय परिसर में उपयुक्त स्थान पर रोगियों एवं उनके तीमारदारों के बैठने के लिए बेंच इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(15) प्रायः देखने में आया है कि चिकित्सालय भवन तथा चिकित्सालय परिसर में कूड़े इधर–उधर बिखरे पड़े रहते हैं। अतः कूड़ा प्रबंधन तथा पार्किंग की व्यवस्था सुव्यवस्थित की जाय। इस हेतु धनराशि की व्यवस्था पूर्व से ही है।

उपर्युक्त के क्रम में संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक अपने मण्डल से संबंधित जनपदों में स्थित चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित रूप से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से अपने कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकों को निरीक्षण हेतु जनपद आवंटित करेंगें, जो महीने में जिला चिकित्सालय का दो बार तथा सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक बार स्थलीय निरीक्षण करेंगें। मण्डलीय अपर निदेशक वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा अपने स्तर से कर स्वयं अपने मण्डल के चिकित्सालयों का स्थलीय निरीक्षण करेंगें। प्रायः यह देखने में आया है कि संबंधित अपर निदेशक द्वारा चिकित्सालयों का निरीक्षण तो किया गया परन्तु कोई निरीक्षण आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि मण्डलीय अपर निदेशक निरीक्षण कर आख्या तैयार करें और निरीक्षण में पाई गई कमियों के निराकरण तथा निरीक्षण आख्या में की गई संस्तुति के अनुसार की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह की 10 तारीख तक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध करायें।

उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका/मुख्य चिकित्साधिकारी तथा संबंधित मण्डल के अपर निदेशक द्वारा कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(नीता चौधरी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1045(1)/सेक–2–पांच–11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव।